

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ4 (पॉलिसी) काशि /अनु०/ 2012-13/

दिनांकः—

विज्ञप्ति

इस विभाग द्वारा अकादमी सत्र 2012-13 हेतु नवीन निजी महाविद्यालय खोलने/पूर्व संचालित महाविद्यालयों के अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि/स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु संस्थाओं से दिनांक 30 नवम्बर 2011 तक बिना विलंब शुल्क तथा रु. 10,000/- विलंब शुल्क सहित दिनांक 31.12.2011 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

अधिक जानकारी एवं आवेदन पत्र इस विभाग की वेब साईट www.collegeeducation.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं। बिना निर्धारित प्रपत्र एवं निर्धारित अवधि पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

संलग्नः— 10 प्रतियॉ ।

-50%

निदेशक,
कॉलेज शिक्षा,
जयपुर ।

~~प्रतिलिपि~~:-

1081
4/11/2011

✓ श्री धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता को प्रेषित कर लेख हैं कि संलग्न पॉलिसी गाइड लाइन को वेब साईट पर अपलोड करें।


संयुक्त निदेशक |

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

निदेशक कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

सत्र 2012–13 के लिये प्रभावी

निजी क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय/अनापत्ति

प्रमाण—पत्र में अभिवृद्धि/स्थाई अनापत्ति प्रमाण—पत्र हेतु

दिशा निर्देश

परिचय

शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। महाविद्यालयी शिक्षा के विस्तार की दृष्टि से भी राजस्थान ने उत्तरोत्तर आगे कदम बढ़ाये हैं। राजस्थान में इस समय 126 राजकीय महाविद्यालय, 72 अनुदानित महाविद्यालय, 9 स्ववित्त पोषी महाविद्यालय और 1150 गैर अनुदानित निजी महाविद्यालय संचालित हैं। सत्र 2001–02 से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में महाविद्यालय संचालित करने हेतु निर्धारित मानदण्डों का उदारीकरण किया है। जिसके अन्तर्गत सत्र 2001–02 में 35, सत्र 2002–03 में 40, सत्र 2003–04 में 171, सत्र 2004–05 में 228, सत्र 2005–06 में 115 सत्र 2006–07 में 161, सत्र 2007–08 में 112, सत्र 2008–09 में 95, सत्र 2009–10 में 123, सत्र 2010–11 में 276 तथा सत्र 2011–12 में 158 नवीन निजी महाविद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण—पत्र जारी किये गये हैं, जो उच्च शिक्षा के प्रसार में निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का ठोस प्रमाण है।

इसी क्रम में भविष्य में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने, अनापत्ति प्रमाण—पत्र में वृद्धि करने तथा रथाई अनापत्ति प्रमाण—पत्र जारी कराने हेतु आवेदन—पत्र एक रथाई कार्यक्रम के अन्तर्गत आमंत्रित किये जा रहे हैं। मानव संसाधन विकास की दृष्टि से उच्च शिक्षा एक संवेदनशील क्षेत्र है, जो भावी पीढ़ियों के निर्माण एवं देश के विकास की दिशा को निर्धारित करने में अहम भूमिका रखता है। अतः उच्च शिक्षा में निजी निवेश की गुणवत्तापूर्ण भागीदारी में इच्छुक सुदृढ़ वित्तीय स्थिति वाली पंजीकृत संस्थाओं का आहान एवं स्वागत है।

(सुबीर कुमार)
निदेशक
कालेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर

कार्यालय , निदेशक , कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

1.	निदेशक	फोन — 2706847
2.	संयुक्त निदेशक (अनुदान)	फोन — 2706736
3.	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	फोन — 2705471
4.	संयुक्त निदेशक (कार्मिक)	फोन — 2706289
5.	संयुक्त निदेशक (योजना एवं समन्वय)	फोन — 2706289
6.	संयुक्त निदेशक (अकादमिक)	फोन — 2706550
7.	मुख्य लेखाधिकारी	फोन— 2703897

राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु गत वर्षों से प्रयत्न किये जा रहे हैं। इसी दिशा में प्रदेश के सभी भागों में उच्च शिक्षा के प्रचार-प्रसार, महिलाओं को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन एवं उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बनाये रखने हेतु कुछ नीतिगत परिवर्तन किये गये हैं। इन नीतिगत परिवर्तनों के कारण आवेदन करने की प्रक्रिया में भी आंशिक परिवर्तन हुआ है। यह परिवर्तन सत्र 2012-13 से संचालित किये जाने वाले नवीन महाविद्यालयों हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र, पूर्व में संचालित महाविद्यालयों हेतु अस्थायी प्रमाण-पत्र में अभिवृद्धि व इन महाविद्यालयों को अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर लागू होंगे।

नोट- आवेदक संस्थायें आवेदन करने से पूर्व राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 (आगे 'उक्त नियमों' के रूप में उल्लेखित) के साथ निम्नलिखित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखें। समरत नियम एवं शर्तें केवल इस-विभाग से अन्नापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त महाविद्यालय/संस्थाओं पर ही लागू होंगे।

(1) नवीन निजी महाविद्यालयों को अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

1.1 **पिछड़े व आरक्षित क्षेत्रों में—** परिशिष्ट-III व परिशिष्ट-IV में अंकित क्षेत्रों में कहीं भी महाविद्यालय की स्थापना के लिये समिति द्वारा आवेदन करने पर, आवेदन में उल्लिखित तथ्यों के सही होने को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र से समर्थित होने पर रख्यं के/किराये के मानदण्डानुसार भूमि-भवन की तीन साल की संस्था/महाविद्यालय के नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र/लीज डील होने पर महाविद्यालय संचालन हेतु तीन वर्ष के लिये अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जावेगा।

1.2 **सामान्य क्षेत्रों में—** परिशिष्ट-III व परिशिष्ट-IV में उल्लिखित क्षेत्रों के अतिरिक्त शेष क्षेत्र सामान्य क्षेत्र होंगे, जिनमें महाविद्यालय संचालन के लिये आवेदन में उल्लिखित तथ्यों के सही होने को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र से समर्थित होने पर रख्यं/किराये के मानदण्डानुसार भूमि व भवन की अधिकतम तीन वर्ष की संस्था/महाविद्यालय के नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र/लीजडील प्रस्तुत किये जाने पर तीन वर्ष के लिये अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जावेगा।

1.3 तीन वर्षीय अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के पश्चात् संस्था को तीसरे सत्र के दौरान आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन के परीक्षण एवं निरीक्षणोंपरात संस्था को मानदण्ड पूरे करने पर रथायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। तीन वर्ष पश्चात् महाविद्यालय रथाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु पात्र होंगे बशर्ते कि उन्होंने आयुक्त कालेज शिक्षा द्वारा निरीक्षण करवाने पर रथाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु विन्दु 9 में उल्लिखित मापदण्डों को पूर्ण कर लिया हो। मानदण्डों के अभाव में संस्था को अधिकतम दो सत्रों के लिये ही अस्थायी प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि की जा सकेगी। यदि

महाविद्यालय द्वारा पॉच शैक्षणिक सत्रों तक स्थायी अनापति के लिये निर्धारित मापदण्डों को पूरा नहीं करती है तो महाविद्यालय का अस्थायी अनापति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जावेगा। इसके पश्चात् संस्था प्रथम वर्ष में नवीन प्रवेश नहीं दे सकेगी व केवल द्वितीय तथा तृतीय वर्ष के लिये ही महाविद्यालय का संचालन किया जा सकेगा।

- 1.4 स्थायी अनापति प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही महाविद्यालय रानातकोतर स्तर पर क्रमोन्नयन हेतु पात्र होगी। रानातकोतर स्तर पर क्रमोन्नयन हेतु पृथक् से विभाग की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इस हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से संस्था अपने स्तर पर मान्यता प्राप्त कर पाठ्यक्रम संचालित करना होगा। इसी प्रकार जिन महाविद्यालयों को स्थाई अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है वे भी यदि नवीन विषय खोलना चाहें तो उसके लिए भी सम्बन्धित विश्वविद्यालय से अपने स्तर पर सम्बद्धता प्राप्त कर पाठ्यक्रम संचालित करना होगा।
- 1.5 उच्च शिक्षा से सम्बन्धित संस्थायें जिन्होंने राज्य सरकार से अस्थाई अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये हों उन्हें स्नातक स्तर पर सामान्य शिक्षा हेतु अतिरिक्त विषय/संकाय के लिए इसी विभाग द्वारा अनापति प्रमाण पत्र प्रदान किया जावेगा। इस हेतु संस्था को आवेदन निर्धारित प्रक्रिया के तहत करना अनिवार्य होगा।
- 1.6 नवीन महाविद्यालय के आवेदन अपूर्ण होने पर, मानदण्डानुसार दस्तावेज प्रतियों संलग्न नहीं होने पर, निर्धारित तिथि पश्चात् आवेदन प्राप्त हाने पर अथवा निरीक्षणोपरांत समय पर कमीपूर्ति नहीं करने पर संस्था के आवेदन पर कोई विचार किया जाना संभव नहीं होगा। संस्था को यदि आवेदित सत्र में अस्थायी अनापति प्रमाण पत्र जारी नहीं होता तो संस्था का आवेदन उस सत्र के लिये निरस्त माना जायेगा तथा आवेदन शुल्क को लौटाया जाना संभव नहीं होगा। संस्था को नवीन सत्र के लिये पुनः आवेदन करना होगा।
- 1.7 संस्था यह ध्यान रखे कि अस्थायी अनापति प्रमाण पत्र के आधार पर एक ही परिसर भवन में अधिकतम दो संस्थायें चलाई जा सकती हैं परन्तु दोनों का समय अलग-अलग होना चाहिए। स्थायी अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त संस्थाओं पर यह नियम लागू नहीं होगा।
- 1.8 संस्था यह ध्यान रखे कि केवल राज्य सरकार के अनापति प्रमाण पत्र के आधार पर विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। सम्बन्धित विश्वविद्यालयों से तथा बार कौसिल आफ इण्डिया (विधि महाविद्यालय हेतु) से सम्बद्धता एवं अनुमोदन लेने के उपरान्त ही महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

(2) आवेदन शुल्क

संरथाएँ समस्त राशियों को एक साथ जोड़कर कुल राशि का एक ही डीमान्ड ड्राफ्ट निदेशक कॉलेज शिक्षा, जयपुर के नाम बनवाकर विभाग को आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करे। आवेदन शुल्क का विवरण निम्न प्रकार से है –

2.1	नवीन (सामान्य व विधि) महाविद्यालयों के लिये—	
(क)	सहशिक्षा महाविद्यालय के लिये	50,000 रु.
(ख)	महिला महाविद्यालय के लिये	20,000 रु.
(ग)	पिछड़े क्षेत्रों (परिशिष्ट-III में वर्णित महाविद्यालयों) के लिये	10,000 रु.
(घ)	आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों में परिशिष्ट-IV वर्णित महाविद्यालय के लिये	10,000 रु.
2.2	अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि (पूर्व में संचालित) / स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिये –	7,500 रु.
2.3	सहशिक्षा में परिवर्तन के लिए –	7,500 रु.
2.4	नाम परिवर्तन हेतु—	25,000 रु.
2.5	स्थान परिवर्तन हेतु—	25,000 रु.
2.6	निरीक्षण शुल्क – अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि (पूर्व में संचालित) / स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहशिक्षा में परिवर्तन हेतु निरीक्षण शुल्क पृथक से रूपये 10,000/- होंगे। (नवीन महाविद्यालय खोलने पर लागू नहीं)	
2.7	विषय/संकाय शुल्क— अनिवार्य विषय (सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, पर्यावरण विज्ञान एवं प्रारम्भिक कम्प्यूटर अनुप्रयोग) शुल्क से मुक्त होंगे। अन्य विषय/संकाय हेतु निम्नानुसार (सारणी-1) शुल्क होगा। यह शुल्क आवेदन/निरीक्षण शुल्क के अतिरिक्त होगा।	

सारणी-1

क्र सं.	संकाय / विषय	राशि रूपयों में
1	बी.ए. कोई दो समूह अथवा कुल छ: विषय	2000
2	बी.ए. में उपरोक्त छ: विषयों के अतिरिक्त तीन विषयों या तो अतिरिक्त समूहों अर्थात् कुल 12 विषयों तक	2000
3	बी.ए. में चार समूहों या 12 विषयों से अधिक	2000
4	बी.कॉम. तीन सामान्य विषय	2000
5	बी.कॉम. तीन सामान्य विषयों के अतिरिक्त विषयों पर	2000
6	बी.एस.सी.बायोलॉजी	2000

7	बी.एस.सी. गणित	2000
8	बी.बी.ए. / बी.सी.ए. / बी.एस.सी.आईटी या अन्य कोई संकाय प्रत्येक पर	2000
9	एलएलबी. तीन वर्षीय	2000
10	एलएलबी. पाँच वर्षीय	2000
11	स्नातक स्तर के डिप्लोमा या अन्य (एक और दो वर्षीय कोर्स)	2000

- नोट –
- आवेदन पत्र में नवीन विषय/संकाय के कॉलम में चाहें गये विषयों का उल्लेख अनिवार्य रूप से करे।
 - नवीन/अरथाई अनापत्ति प्रमाण पत्र आभिवृद्धि के साथ स्नातकोत्तर स्तर का कोई नवीन डिग्री, डिप्लोमा कोर्स स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा।
 - संस्थाओं को नवीन विषय/संकाय हेतु निर्धारित गानदण्डानुसार कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला, विभागीय कक्ष तथा स्टॉफ की व्यवस्था करनी होगी। इस हेतु प्रमाण स्वरूप अतिरिक्त कक्षों व स्टॉफ के चयन का शपथ पत्र विभाग को प्रस्तुत करना होगा।
 - पूर्व में संचालित अरथाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त महाविद्यालयों पर भी उपरोक्त सारणी अनुसार शुल्क लागू होगा।

(3) मियादी जमा (एफ.डी.आर.)

- 3.1 नवीन निजी महाविद्यालय प्रारम्भ करने से पूर्व समिति/संस्था को वित्तीय सुदृढता हेतु निम्न प्रकार से राशि पाँच वर्ष के लिये मियादी जमा (एफडीआर) के रूप में महाविद्यालय के नाम एवं संयुक्त निदेशक (अनुदान), निदेशालय, कालेज शिक्षा, राजरथान, जयपुर के संयुक्त खाते में जमा करानी होगी—

सहशिक्षा महाविद्यालय	रु. 10.00 लाख
महिला महाविद्यालय	रु. 4.00 लाख

नोट— सावधि जमा (एफडीआर) राशि में निम्नानुसार छूट रहेगी—

- पिछडे क्षेत्र परिशिष्ट-III में उल्लेखित महाविद्यालय हेतु राशि का 50 प्रतिशत
- आरक्षित विधानसभा क्षेत्र परिशिष्ट-IV में स्थित महाविद्यालय हेतु निर्धारित राशि का 50 प्रतिशत

3.2 एफडीआर राशि का पुनर्भुगतान –

महाविद्यालय के नाम तथा संयुक्त निदेशक (अनुदान), कालेज शिक्षा के संयुक्त नाम से बनी एफडीआर का संस्था अपरिहार्य कारणों से नगदीकरण कराने का आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं—

- 1 अगर संस्था ने आवेदन किया हो परन्तु संस्था को एनओसी जारी नहीं की गई हो तो ऐसी स्थिति में नगदीकरण की अनुमति दी जा सकेगी ।
- 2 अगर संस्था को एनओसी जारी हो गई हो किन्तु संस्था द्वारा आवश्यक विभागीय मापदण्डों की समय पर पूर्ति नहीं करने पर (5 वर्ष तक) व संस्था के खयां के महाविद्यालय संचालन बंद करने पर या असमर्थता व्यक्त करने पर नगदीकरण की अनुमति दी जा सकेगी ।
- 3 यदि संस्था का अनापति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया या संस्था बीच सत्र में ही महाविद्यालय का संचालन बन्द कर रही हो तो संस्था को अगले दो सत्रों तक महाविद्यालय का संचालन करना होगा ताकि द्वितीय एवं तृतीय पार्ट के विद्यार्थियों का अध्ययन पूरा हो सके अथवा महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अध्ययन की व्यवस्था अन्य स्थानीय महाविद्यालय में कर प्रमाण सहित विभाग को सूचित करना होगा ।
- 4 उक्त बिंदु 1 से 4 तक के लिए संस्था को एफडीआर नगदीकरण हेतु आवेदन व एफडीआर की मूल प्रति के साथ 10/-रु. के गैर न्यायिक शपथ पत्र निम्नलिखित आशयों का प्रस्तुत करना होगा :-
 - (क) महाविद्यालय का संचालन पूरी तरह से बन्द कर दिया गया है एवं किसी भी कक्षा में कोई भी विद्यार्थी अध्ययनरत नहीं है,
 - (ख) महाविद्यालय में कार्यरत किसी भी शिक्षक या कर्मचारी का कोई वेतन भुगतान बकाया नहीं है,
 - (ग) महाविद्यालय / संस्था ने किसी भी प्रकार का ऋण आदि प्राप्त नहीं किया हो,
 - (घ) महाविद्यालय / संस्था ने सरकार से किसी भी प्रकार की भूमि एवं भवन आदि रियायती दर पर प्राप्त नहीं किया हो ।

(4) आवेदक समिति/संस्था/ट्रस्ट के लिए दिशा निर्देश

- 4.1 आवेदक एक समिति/संस्था/ट्रस्ट का गठन करेगा, जिसका पंजीयन "राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958" अथवा "राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1959" अथवा "भारतीय ट्रस्ट एक्ट 1882" के अन्तर्गत होना अनिवार्य है ।
- 4.2 समिति /संस्था/ट्रस्ट के पंजीकृत विधान के उद्देश्यों में उच्च शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं व्यवस्था का उल्लेख होना अनिवार्य है ।

4.3 प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था के लिए नीचे विहित रीति से एक प्रबंध समिति गठित की जायेगी—

- (क) प्रबंध समिति संस्था या संस्थाओं के प्रधान या प्रधानों सहित 15 से 21 सदस्यीय होनी चाहिए जिसमें 30 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य है।
- (ख) प्रबंध समिति में किसी भी एक समुदाय, जाति या पंथ के दो—तिहाई से अधिक सदस्य नहीं होंगे,
- (ग) कुल सदस्यता के एक—तिहाई से अन्यून सदस्य दाताओं या अभिदाताओं में से होंगे। (स्पष्टीकरण— संस्था को एक समय में 10000/- रुपये या इससे अधिक या बारह महीने या इससे अधिक की निरन्तर कालावधि के लिए कम से कम 1000/- रुपये दान देने वाला कोई व्यक्ति दानदाता समझा जायेगा।)
- (घ) स्थायी स्टाफ में से चयनित एक सदस्य प्रबंध समिति में समिलित किया जायेगा,
- (ङ) कम से कम एक सदस्य प्रबंध द्वारा चलायी जा रही संस्था या संस्थाओं के विद्यार्थियों के माता—पिता में से सहयोजित किया जायेगा,
- (च) संस्था के कम से कम एक प्रतिष्ठित पुराने विद्यार्थी को प्रबंध समिति के सदस्यों के द्वारा सदस्य के रूप में सहयोजित किया जायेगा,
- (छ) प्रबंध प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात निर्वाचन करवायेगा और नये प्रबंध समिति का गठन करेगा।

4.4 प्रबंध समिति चुनावों के संचालन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायेगी —

- (क) एक निर्वाचन अधिकारी का नाम निर्देशित किया जायेगा,
 - (ख) निर्वाचन अधिकारी चुनाव के लिए नियत तारीख से कम से कम एक महीने पूर्व निर्वाचकगण के समर्त सदस्यों के निर्वाचन का नोटिस जारी करेगा,
 - (ग) निर्वाचन के नोटिस में निर्वाचन की तारीख, स्थान और समय विनिर्दिष्ट होगा,
 - (घ) निर्वाचन अधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों के नामों, जो चुनाव में खड़े हुए हैं व उनके पक्ष में पड़े मतों की संख्या सहित सम्पूर्ण निर्वाचन के अभिलेख रखेगा,
 - (ङ) निर्वाचन गुप्त मतपत्र द्वारा होगा और गुप्त मतपत्र के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवधारित की जायेगी।
 - (च) निर्वाचित सदस्यों द्वारा सहयोजन निर्वाचन के एक महीने के भीतर किया जायेगा,
 - (छ) निर्वाचन के तुरन्त पश्चात् प्रबंध समिति विभागीय प्रतिनिधि के नाम निर्देशन के लिए कार्यवाही करेगी।
- 4.5 प्रबंध समिति के गठन के पश्चात् प्रबंध समिति के निर्वाचित और नाम निर्देशित सदस्य अपना अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष निर्वाचित करेंगे। संस्था का कर्मचारी न तो सचिव होगा और न ही कोषाध्यक्ष। समिति यह ध्यान रखें कि प्रत्येक प्रबंध समिति का

पंजीयन, पंजीयक सहकारी समितियों के यहाँ कराकर दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

(5) आवेदन पत्र

- 5.1 आवेदन पत्रों के प्रारूप निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर की वेबसाइट www.collegeeducation.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- 5.2 संस्थाएँ ध्यान रखें कि दिशा निर्देशों के साथ तीन प्रकार के आवेदन पत्र के प्रारूप दिये गये हैं अतः आवश्यकतानुसार निर्धारित आवेदन पत्र ही भरा जाना चाहिए।
 1. आवेदन पत्र (12) – नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु।
 2. आवेदन पत्र (13) – अस्थाई अन्नापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि/ सहशिक्षा में परिवर्तन हेतु।
 3. आवेदन पत्र (14) – रथाई अन्नापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि हेतु।
- 5.3 आवेदन पत्र अपूर्ण होने पर अथवा आवेदन शुल्क जमा न होने पर अथवा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 5.4 आवेदन पत्र के साथ प्रथम पृष्ठ पर दी गई चेकलिस्ट के आधार पर दस्तावेजों को क्रमानुसार लगाकर तथा स्पष्ट रूप से पृष्ठाकंन कर संलग्न करें।
- 5.5 आवेदन पत्र आवेदन शुल्क सहित कार्यालय, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर में बिन्दु 5.6 में अंकित निर्धारित तिथियों तक जमा करवायें जा सकते हैं।
- 5.6 महत्वपूर्ण तिथियाँ—

सत्र 2012–13 के लिए निजी महाविद्यालयों के अस्थायी/रथायी अन्नापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथियाँ निम्न प्रकार रहेंगी—

चरण	आवेदन प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि	विलम्ब शुल्क
प्रथम चरण	30 नवम्बर 2011 तक	शून्य
द्वितीय चरण	31 दिसम्बर 2011 तक	रु. 10,000/-

नोट— महाविद्यालय को समय पर सम्बद्धक विश्वविद्यालय की सम्बद्धता तिथियों के अनुसार सम्बद्धता हेतु आवेदन करना होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सम्बद्धता सम्बन्धी सभी शुल्क जमा कराने होंगे।

(6) विधि महाविद्यालय

उन्हीं स्थानों पर खोले जा सकेंगे जहां जिला/एडीजे न्यायालय/सी.जे.एम कोर्ट उपलब्ध होंगे। अतः उन्हीं स्थानों के लिए आवेदन प्रस्तुत किये जावें।

(7) सहशिक्षा में परिवर्तन

अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के पश्चात् महिला महाविद्यालय का सहशिक्षा में परिवर्तन स्वीकार तभी किया जावेगा जब महाविद्यालय सहशिक्षा के मापदण्ड (भूमि, भवन व एफडीआर) पूरे करती हो। रथाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त महिला महाविद्यालय यदि सह शिक्षा में परिवर्तित होना चाहें तो उनके लिए भी सह शिक्षा महाविद्यालयों के मापदण्ड पूर्ण करने अनिवार्य होंगे। इस हेतु विभाग रो अनुगति लेना अनिवार्य होगा।

(8) नाम परिवर्तन हेतु आवश्यक दस्तावेज

- (क) संरक्षा का प्रस्ताव
- (ख) नियमानुसार शुल्क का डीमाण्ड झाफट
- (ग) राज्य स्तरीय समाचार पत्र में नाम परिवर्तन के संबंध में अनापत्ति हेतु प्रकाशित आम सूचना की प्रति।

(9) पूर्व में संचालित महाविद्यालयों को स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने हेतु नियम व दिशा-निर्देश

अरथाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त शैक्षिक संरक्षा स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए पात्र होगी, यदि वह निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करती है –

9.1 अरथायी अनापत्ति प्रमाण पत्र मंजूर कर दिये जाने के पश्चात् स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहने वाली संरक्षा ने विभागीय विनिर्दिष्ट निबन्धनों और शर्तों को पूरा करते हुए ऐसी अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने की तारीख से कम से कम तीन वर्ष तक सन्तोषप्रद रूप से कार्य किया हो।

9.2 प्रबन्ध ने इन नियमों के उपबन्धों और राज्य सरकार/आयुक्त द्वारा जारी किये गये आदेशों/ निर्देशों या अनुदेशों का तत्परता से पालन किया हो और वह उससे समय-समय पर मांगी गई सभी आवश्यक सूचनाएं प्रस्तुत करता रहा हो।

9.3 स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र उन्हीं संस्थाओं को प्रदान किया जावेगा जिन्होंने —

- (क) तीन वर्ष की अवधि में मानदण्डानुसार रखयं की भूमि एवं भवन की व्यवस्था कर ली हो ।
- (ख) प्राचार्य एवं व्याख्याताओं की नियुक्ति का सम्बन्धित विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त कर लिया हो ।
- (ग) महाविद्यालय के स्टॉफ का वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किया जा रहा हो ।
- (घ) महाविद्यालय के समस्त स्टॉफ की पी.एफ. कटौती की जा रही हों ।
- (ङ) छात्र-छात्राओं की समुचित सुविधाओं का विकास कर लिया हो ।

(10) सभी अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त महाविद्यालयों हेतु आवश्यक दिशानिर्देश

10.1 पॉच या इससे अधिक सत्रों से संचालित महाविद्यालयों को स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र के मापदण्ड पूरे कर स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उनका अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।

10.2 तीन सत्र पूर्ण करने वाले ऐसे महाविद्यालयों को आगामी दो सत्र के भीतर स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र के मापदण्ड पूरे कर स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उनका अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।

10.3 अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त संस्थाओं को प्रतिवर्ष अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा।

(11) संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने हेतु नियम

11.1 अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रबन्ध को अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का समुचित अवसर देने के पश्चात् निम्नलिखित परिस्थितियों में उसकी अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र या स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले सकेगा —

- (क) यदि किसी संस्था का प्रबन्ध कपट/दुर्ब्यवदेशन से या तात्त्विक विशिष्टियों को छिपाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करता है या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् कोई संस्था इन नियमों के परिशिष्ट-II में विहित किन्हीं भी निवन्धों और शर्तों का पालन करने में विफल रहती है।
- (ख) यदि प्रबन्ध मण्डल ने सक्षम प्राधिकारी का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना, किसी शैक्षिक संस्था या उसके किसी भाग को बन्द कर दिया है।

- (ग) यदि प्रबन्ध ने सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना, शैक्षिक संस्था को किसी अन्य भवन या स्थान में स्थानान्तरित कर दिया गया है।
- (घ) यदि संस्था का प्रबन्ध सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रबन्ध समिति / संस्था को अंतरित कर दिया गया है।
- (ङ) यदि अरथायी अनापत्ति प्रमाण पत्र की कालावधि की समाप्ति पर प्रबन्ध या तो अरथायी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अवधि को बढ़ाने या स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए सक्षम प्राधिकारी को विहित प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहता है।
- (च) यदि संस्था विभागीय निर्देशों की लगातार अवहेलना कर रही हो।

11.2 यह समाधान हो जाने पर कि संस्था उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट निबन्धनों और शर्तों में से किसी का अनुपालन करने में विफल रही है, सक्षम प्राधिकारी संस्था को सुनावाई का अवसर देने के पश्चात् अनापत्ति प्रमाण पत्र को विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए निलम्बित कर सकेगा। तत्पश्चात् यदि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि संस्था ने विनिर्दिष्ट कालावधि में संतोषप्रद सुधार किया है तो वह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी रखना अनुज्ञात कर सकेगा।

11.3 सामान्यतः किसी शैक्षिक संस्था को एक बार दी गई अनापत्ति प्रगाण पत्र एक शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तक जारी रहेगी। किन्तु कपट, दुर्व्यपदेशन या ऐसे तात्त्विक तथ्यों के छिपाने के मामलों में जिन पर अनापत्ति प्रमाण पत्र दी गई थी ऐसे मामलों में जहाँ संस्था शिक्षा निदेशक या राज्य सरकार के आदेशों / निर्देशों की समय पर अनुपालना में विफल रही है, सक्षम प्राधिकारी प्रबंध को प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का समुचित अवसर देने के पश्चात् शैक्षणिक सत्र के बीच में भी अनापत्ति प्रमाण पत्र को वापस ले सकेगा।

11.4 किसी भी संस्था को भूतलक्षी प्रभाव से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण –

- (1) ऐसे मामलों में, जहाँ पूर्व में दी गई अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले ली गई हो किन्तु पुनः प्रदत्त कर दी गई हो, ऐसी संस्था को नवीन संस्था कहा जायेगा।
- (2) संस्था द्वारा किसी नये स्थान पर शाखा खोलने के मामले में संस्था की ऐसी शाखा को नवीन संस्था कहा जायेगा और अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिये उसका आवेदन तदनुसार विनिश्चित किया जायेगा।

परिशिष्ट-।

गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता देने सम्बन्धी न्यूनतम भौतिक एवं वित्तीय मानदण्ड
एवं शर्तें (सामान्य एवं विधि)

1. पंजीयन

महाविद्यालय का राजस्थान सोसायटी पंजीयन अधिनियम 1958 के अधीन पंजीयन होना आवश्यक है।

2. भवन

कक्षा कक्ष	कक्षों की संख्या	आकार
कला संकाय –	7	(20'×30')
वाणिज्य संकाय –	4	(20'×30')
विज्ञान संकाय –	6	(20'×30')
कृषि संकाय –	(संलग्न मानदण्डानुसार)	
प्रयोगशाला विषयवार –	1	(20'×30')
विधि संकाय (मूट कोर्ट सहित) –	6	(20'×30')
व्यावसायिक पाठ्यक्रम	1 प्रतिविषय	(20'×30')

प्रशासनिक भवन

अ. कार्यालय कक्ष –	2	(15'×20)
ब. भण्डार कक्ष –	1	(20'×30')
स. प्राचार्य कक्ष –	1	(12×12)
द. उपाचार्य कक्ष –	1	(12×12)
(छात्र संख्या 300 से अधिक होने पर)		
प्राध्यापक कक्ष –	1	(20×30)
एन.सी.सी.	1	(12×12)
एन.एस.एस.	1	(12×12)
खेलकूद	1	(20×30)
पुस्तकालय भवन	2	(20×30)

नोट :- उपरोक्त व्यवस्थाओं के साथ शौचालय उपयुक्त आकार के होना आवश्यक है।

3. भूमि

क्र.सं.	रथान	सहशिक्षा महाविद्यालय के लिए	गहिला महाविद्यालय के लिए
अ	संगारीय मुख्यालय पर	2000 वर्ग मीटर	2000 वर्ग मीटर
ब	जिला मुख्यालय स्तर पर	4000 वर्ग मीटर	3000 वर्ग मीटर
स	अन्य रथानों पर	5000 वर्ग मीटर	4000 वर्ग मीटर

नोट— संभाग मुख्यालय की भूमि सम्बन्धी छूट के लिये संरथा का नगरीय सीमा अर्थात् नगर निगम या परिषद के क्षेत्र में स्थित होना आवश्यक है।

4. स्टाफ

1. प्राचार्य – 1
2. 300 से अधिक विद्यार्थियों पर उपाचार्य – 1
3. विषयवार प्राध्यापक – 1
4. पुस्तकालयाध्यक्ष – 1
5. पी.टी.आई. – 1
6. कनिष्ठ लेखाकार – 1
7. वरिष्ठ लिपिक – 1
8. कनिष्ठ लिपिक – 1
9. बुक लिफ्टर – 1
10. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी – 7

5. फर्नीचर

कार्यालय, पुस्तकालय, स्टाफ रूम आदि में आवश्यक उपयुक्त फर्नीचर विद्यार्थियों के लिये प्रयोग्य मेज कुर्सी प्रयोगशालाओं के लिये आवश्यक संसाधन उपकरण

6. छात्रावास

आवश्यकतानुसार छात्र-छात्राओं के लिए पृथक-2 छात्रावास की वैकल्पिक व्यवस्था।

7. प्रबन्ध समिति

15 से 21 सदस्यीय प्रबन्ध समिति में 30% महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो। समिति नवीनतम हो तथा पंजीयक से अनुमोदित होनी चाहिये।

8. विद्यार्थी सुविधायें

कैन्टीन

कामन रूम मय शौचालय

आंतरिक कीड़ा कक्ष मय शौचालय

साईकिल/स्कूटर/कार रस्टेण्ड मय शौचालय

10. वेतन भत्ते

प्राचार्य/उपाचार्य/व्याख्याताओं को यूजी.सी द्वारा निर्धारित दरों से एवं अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन व भत्ते दिया जाना अनिवार्य होगा। कर्मचारियों को देय समर्त गुणतान उनके बैंक खातों के माध्यम से किये जायेंगे।

परिशिष्ट-II

तीन वर्षों में महाविद्यालय भवन के न्यूनतम निर्माण की वर्षवार अनिवार्यताएँ चूंकि उपरोक्त मानदण्ड तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के लिये है। अतः तीन वर्ष की अवधि इसका पूरा होना आवश्यक है। अतः प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में भवन समवर्धी मानदण्डों को निम्नानुसार विभाजित किया जाता है।

1 प्रथम वर्ष के लिए (संकाय वार)

क्र.सं.	कक्षा कक्ष	कक्षों की संख्या	आकार
1	कला संकाय	3	20'x30'
2	वाणिज्य संकाय	2	20'x30'
3	विज्ञान संकाय	3	20'x30'
4	विधि संकाय	2	20'x30'
5	कृषि संकाय विज्ञान संकाय प्रयोगशाला	(संलग्न मानदण्डानुसार)	
1	रसायन विज्ञान	1	20'x30'
2	भौतिक विज्ञान	1	20'x30'
3	प्राणी विज्ञान	1	20'x30'
4	वनस्पति विज्ञान	1	20'x30'
5	कृषि संकाय	(संलग्न मानदण्डानुसार)	
6	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	2	20'x30'

प्रत्येक प्रयोगशाला में एक भण्डार कक्ष, प्रायोगिक कक्ष, डार्क रूम, बैलेन्स रूम, प्राध्यापक कक्ष, संग्रहालय एवं पर्याप्त वनस्पति उद्यान एवं जन्तु उद्यान की व्यवस्था हो। प्रशासनिक भवन

1.	कार्यालय कक्ष	2	15'x20'
2	स्टाफ रूम मय शौचालय	1	20'x30'
3	भण्डार कक्ष	1	20'x30'
4	प्राचार्य कक्ष मय शौचालय	1	12'x12'
5	उपाचार्य कक्ष मय शौचालय (300 से अधिक विद्यार्थी संख्या होने पर)	1	12'x12'
6	पुस्तकालय भवन मय शौचालय	2	20'x30'

2 द्वितीय वर्ष के लिए –

प्रथम वर्ष में दी गई व्यवस्था के निर्माण के उपरान्त द्वितीय वर्ष में निम्न निर्माण आवश्यक है:

क्र.सं.	कक्षा कक्ष	कमरों की संख्या	आकार
1	कला संकाय	2	20'x30'
2	वाणिज्य संकाय	1	20'x30'
3	विज्ञान संकाय	2	20'x30'
4	विधि संकाय	2	20'x30'

5	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	2	20'x30'
6	एन.सी.सी.	1	12'x12'
7	एन.एस.एस.	1	12'x12'
8	खेलकूद	1	20'x30'
	विज्ञान संकाय प्रयोगशाला		
1	रसायन विज्ञान	1	20'x30'
2	भौतिक विज्ञान	1	20'x30'
3	प्राणी विज्ञान	—	—
4	वनस्पति विज्ञान	—	—

3 तृतीय वर्ष के लिए—

क्र.सं.	कक्षा कक्ष	कक्षों की संख्या	आकार
1	कला संकाय	2	20'x30'
2	वाणिज्य संकाय	1	20'x30'
3	विज्ञान संकाय	1	20'x30'
4	विधि संकाय	2	20'x30'
5	मूट कोर्ट	1	20'x30'
6	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	2	20'x30'

परिशिष्ट-III
पिछडे क्षेत्रों की सूची
उपखण्ड मुख्यालयों की सूची जो उच्च शिक्षण संस्थानों की दृष्टि से अल्पविकसित है।

क्र.सं.	ज़िला	उपखण्ड
1	अलवर	1. कोटकासिंग
2	बारां	1. मागरोल
3		2. किशनगंज
4	बाढ़गढ़	1. शिव
5	भीलवाड़ा	1. बनेड़ा
6	बून्ही	1. हिण्डाली
7	चित्तौड़गढ़	1. गगरार
8	जैसलमेर	1. फतेहगढ़
9	झालावाड़	1. पिडावा
10	जोधपुर	1. शेरगढ़
11	कोटा	1. दीगाद

तहसील क्षेत्रों की सूची जहाँ एक भी महाविद्यालय स्थित नहीं है

क्र.सं.	ज़िला	उपखण्ड	तहसील क्षेत्र
1	बारां	मागरोल	मागरोल
2		किशनगंज	किशनगंज
3	बाढ़गढ़	बाढ़गढ़	बाथतू
4			रामसर
5		शिव	शिव
6		गुदामलाली	बौहटन
7	भीलवाड़ा	बनेड़ा	बनेड़ा
8		जहाजपुर	कोटड़ी
9	बीकानेर	खाजूवाला	पुगाल
10			छत्रगढ़
11	बून्ही	हिण्डाली	हिण्डाली
12	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	अरनोद
13	चित्तौड़गढ़	गंगरार	गंगरार
14	जैसलमेर	फतेहगढ़	फतेहगढ़
15	जालौर	जालौर	सराला
16		भीनमाल	वांगड़ा
17	झालावाड़	पिडावा	पिडावा
18		अकलेरा	मनोहर थाना
19	जोधपुर	ओरिया	ओरिया
20		शेरगढ़	शेरगढ़
21	कोटा	दीगाद	दीगाद
22	पटी	पाली	रोहत
23		जैतारण	रायपुर
24	सवाईमाधोपुर	वोली	गलारना डूगर

नोट :-आवेदक संस्था को तहसील कार्यालय से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना चाहिए कि उनके महाविद्यालय का स्थान उपरोक्त सूची में वर्णित तहसील क्षेत्र में आता है।

परिशिष्ट-IV
आरक्षित क्षेत्रों की सूची
राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची

क्र.सं.	ज़िला	निर्वाचन क्षेत्र
1	अजगर	दूदू अजगर दक्षिण
2	अलवर	अलवर ग्रामीण
3		करूर
4	बालगढ़	चौहटन
5	भरतपुर	बयाना
6		वैर
7	भीलवाड़ा	शाहपुरा
8	बीकानेर	खाजूवाला
9	चून्दी	केशोरायपाटन
10	चिंतालगढ़	कपारान
11	चुरू	सुजानगढ़
12	श्रीगगानगर	अनुपगढ़
13		रायरिहनगर
14	जायपुर	दूदू
15		चाकसू
16		बगरू
17	जालोर	जालोर
18	झालावाड़ा	झग
19	झुझुनू	पिलानी
20	जोधपुर	मोपालगढ़
21		बिलाड़ा
22	कोटा	रागगजमण्डी
23	नारोर	जायल
24		मेडता
25	पाली	सोजात
26	सवाई माधोपुर	खण्डार
27	सीकर	धोद
28	सिरोड़ी	रेखदर
29	टोक	निवाई
30	बारां	बारा-अटरा
31	दौरा	शिकराय
32	कर्णली	हिण्डोन
33	धौलपुर	वरोड़ी
34	एनुगगनगढ़	पीलीघंगा

राजस्थान में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित विधान सभा क्षेत्र की सूची

क्र.सं.	ज़िला	निर्बाचिन क्षेत्र
1	अलवर	राजगढ़-लक्षणगढ़
2	बांसवाडा	कुशलगढ़
3		गढ़ी
4		धाटोल
5		बापीडोरा
6		बांसवाडा
7	झूंगरपुर	रामगढ़ा
8		वेरासी
9		झूंगरपुर
10		आरापुर
11	रावाई भाघोपुर	बामनवास
12	सिरोही	पिण्डवाडा आबू
13	उदयपुर	झाड़ोल
14		उदयपुर ग्रामीण
15		खलुग्यर
16		खरवाडा
17		गोगूदा
18		धारियावाद
19	बर्स	किशनगञ्ज
20	दौसा	लालसोट
21	करोली	राफेटरा
22		टोड्हगीम
23	जयपुर	जगवारामगढ़
24		वरसी
25	विठोड़गढ़	प्रतापगढ़

नोट :—आवेदक संस्था को ज़िला कलेक्टर अथवा एस.डी.एम. से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना होगा कि उनके महाविद्यालय का रथान आरक्षित लोकसभा / विधानसभा क्षेत्र में आता है।

12. आवेदन पत्र

नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

आवेदित सत्र ——————

नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन फार्म का प्रारूप

12.1 भाग – 'अ' (चेक लिस्ट)

1. समिति के रजिस्ट्रेशन एवं विधान की प्रति ।
2. पंजीयक से पंजीकृत 15–21 सदस्यीय प्रबन्ध समिति जिसमें 30 प्रतिशत महिलाएँ हो, के सदस्यों की सूची ।
3. प्रबन्ध समिति द्वारा निजी महाविद्यालय / विषय / संकाय प्रारम्भ करने हेतु पारित प्रस्ताव की प्रति । (सिलेबस प्रति संलग्न नहीं करें)
4. विषय / संकाय की सूची मय शुल्क का विवरण ।
5. जहाँ महाविद्यालय स्थापित किया जाना है, यदि वह क्षेत्र आरक्षित विधानसभा दोत्र में स्थित होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र (एडीएग) / (एसडीएम) द्वारा ।
6. प्रस्तावित महाविद्यालय एवं संयुक्त निदेशक (अनुदान) के संयुक्त खाते में स्थाई निधि में 5 वर्ष के लिए नवीनतम एफ.डी.आर. की प्रति ।
7. संस्था के पास यदि स्वयं की भूमि है तो भूमि के पंजीकृत दस्तावेजों की प्रति ।
8. यदि भूमि लीज पर ली गई है तो संस्था के नाम 3–5 वर्ष की पंजीकृत लीजडील की प्रति ।
9. यदि संस्था के पास स्वयं का भवन है तो स्वयं के भवन के पंजीकृत दस्तावेजों की प्रति ।
10. नवीन महाविद्यालय यदि किराये के भवन में प्रस्तावित है तो 3–5 वर्ष की संस्था के नाम पंजीयक / उपपंजीयक से पंजीकृत लीजडील ।
11. भवन का पी डब्लू डी/सक्षम अधिकारी से प्रमाणित मानवित्र (प्रस्तावित एवं वर्तमान भवन मानवित्र) एवं सम्पूर्ण महाविद्यालय परिसर की छाया चित्र ।
12. नवीनतम (सत्रानुसार) भवन सुरक्षा प्रमाण–पत्र (राक्षग अधिकारी द्वारा) यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, आवास विकास संस्थान, राजस्थान पुल निर्माण अथवा पंचायत समिति में पदस्थापित कनिष्ठ अग्रियन्ता ।
13. राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने का घोषणा पत्र ।
14. संस्था को तीन वर्ष के भीतर मानदण्डानुसार रख्यं की भूमि पर भवन का निर्माण करना होगा, इस आशय का नोटरी द्वारा संत्यापित शपथ पत्र ।

नोट :- सम्पूर्ण नियमों की विस्तृत जानकारी हेतु "राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1993" देखें ।

12.2 भाग - 'ब'

महाविद्यालय संबंधी सामान्य विवरण (कृपया सम्बन्धित को मार्क करें)

I	प्रस्तावित महाविद्यालय का प्रकार	सामान्य (स्नातक) / सहशिक्षा / हां / हां	विधि महिला नहीं
II	प्रस्तावित महाविद्यालय की श्रेणी		
III	क्या प्रस्तावित महाविद्यालय पिछडे क्षेत्र में आता है—		
IV	क्या प्रस्तावित महाविद्यालय आरक्षित विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है ?(अगर हां तो प्रमाण प्ररतुत करें)	हां / हां	नहीं
V	आवेदन शुल्क राशि रु०.....डी.डी. क्रमांकदि० (डी.डी. के पीछे समिति/महाविद्यालय का नाम व स्थान अवश्य अंकित करें)	रु० क्रमांकदि० रु०	बैक
VI	एफ.डी.आर. राशि रु० क्रमांकदि० रु०	क्रमांकदि० रु०	बैक

1. प्रस्तावित महाविद्यालय का नाम एवं
पूर्ण पता
दूरगाष नं. मय एसटीडी कोड
फौरस नं.
मोबाइल
ई-मेल पता
2. प्राचार्य का नाम व पता
3. प्रबन्ध समिति के सचिव का नाम व पता
4. आवेदक समिति/ट्रस्ट का नाम व पता मय
पंजीकरण क्रमांक एवं दिनांक
5. पंजीकृत विधान की प्रति
6. पंजीयक द्वारा अनुमोदित वर्तमान प्रबन्ध समिति
के सदस्यों के नाम,पते, टेलीफोन नंबर, व्यवसाय
7. वर्तमान प्रबन्ध समिति के निर्वाचन की तिथि
8. प्रस्तावित महाविद्यालय की क्षेत्रीय आवश्यकता एवं
औचित्य का आधार
.....

12.3 भाग – 'स'

आधारभूत सुविधाओं सम्बन्धी विवरण (कृपया सम्बन्धित को मार्क करें)

1. भूमि—
 1. सरकार से आवंटित
 2. निजी व्यक्ति से क्य
 3. दान से
 - (अ) भूमि का स्वामित्व किसके नाम है (दस्तावेज संलग्न करें)

1. महाविद्यालय	2. सगिति / ट्रस्ट
3. पदाधिकारी	4. अन्य (स्पष्ट नाम लिखें)
 - (ब) भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर
 - (स) महाविद्यालय के उपयोगार्थ उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर
- (भवन का प्रमाणित ब्ल्यू प्रिन्ट संलग्न करें)
2. भवन :— कक्षों की संख्या व आकार लिखें :—

प्रशासनिक

	प्राचार्य कक्ष	स्टाफ रूम	कार्यालय कक्ष	भंडार कक्ष	क्लीडा कक्ष
मापवर्गफुटमें					
कमरा नं.					

अकादमिक

कक्षों की कुल संख्या ...	प्रयोगशाला की कुल संख्या.....	पुस्तकालय	वाचनालय
मापवर्गफुटमें			
कमरा न			

छात्र सुविधाएं

कामन रूम	साईकिल स्टेप्ड	जल भंडारण	पुरुष टायलेट्स	महिला टायलेट्स

12.4 भाग – 'द'

अकादमिक सूचनाओं का विवरण

1. सम्बद्धक विश्वविद्यालय का नाम
2. आवेदित संकाय
3. आवेदित विषय
.....
4. चाहे गये विषय—संकाय सम्बद्धक
विश्वविद्यालय में उपलब्ध होने बावत प्रस्ताव की प्रति

12.5 भाग – 'य'

घोषणा पत्र

मैंपुत्र/पुत्री श्री.....
 अध्यक्ष/सचिव.....एतद्द्वारा निम्नलिखित तथ्यों की पालना की
 घोषणा करता/करती हूँ कि—

- 1 महाविद्यालय से सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पदों हेतु निर्धारित व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्तों पर नियुक्त किया जायेगा। नियुक्ति खुले विज्ञापन द्वारा राज्य सरकार के नियमों व नीतियों के अनुसार कर विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा।
- 2 महाविद्यालय का संचालन किसी जाति/धर्म राजनीतिक एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के रांचालन में नहीं होगा। यदि महाविद्यालय द्वारा किसी जाति/धर्म, राजनीतिक प्रचार-प्रसार एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्तता पाई जाती है तो सरकार महाविद्यालय प्रबंध समिति के विरुद्ध विधिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।
3. महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त की जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं में सभी जाति/धर्म एवं वर्गों के व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किये जाएंगे। यदि महाविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं में जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है तो सरकार ऐसी दृशा में महाविद्यालय प्रबंध के विरुद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।
4. महाविद्यालय प्रदूषण रहित क्षेत्र में संचालित किया जावेगा एवं महाविद्यालय द्वारा संचालित किसी गतिविधि से किसी प्रकार का प्रदूषण फैलता है तो सरकार महाविद्यालय प्रबंध के विरुद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।
5. महाविद्यालय का संचालन हेतु समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अशारश (Intoto) पालना की जावेगी। यदि महाविद्यालय संचालन में राजकीय निर्देशों के पालन में अवहेलना की जाती है तो राज्य सरकार महाविद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन के विरुद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।
6. संरथा द्वारा तीन वर्ष की अवधि में रवंय की भूमि पर महाविद्यालय भवन का निर्माण किया जावेगा।
7. महाविद्यालय की समर्त आय व्यय सम्बन्धी लेन-देन महाविद्यालय के प्रावार्य एवं प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/सचिव के संयुक्त बैंक खाते से किया जायेगा तथा महाविद्यालय के आय-व्यय का पृथक लेखा जोखा संधारित कर आडिट कराया जायेगा।
8. महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के प्रवेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग अभ्यर्थियों को कमशः 16, 12, 21 तथा 3 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जायेगी।
- 9 महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों का दुर्घटना बीमा राज्य बीमा एवं प्रावधारी निधि विभाग (साधारण बीमा) वित्त भवन, जयपुर के नियमानुसार करवाया जायेगा।

उपरोक्त सभी तथ्य मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है तथा मैंने कोई भी तथ्य जानबूझकर नहीं छिपाया है। यदि उपरोक्त तथ्य गलत एवं असत्य पाये जाते हैं तो इसके लिये संरथा स्वयं जिम्मेदार होगी एवं राज्य सरकार संरथा के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

हस्ताक्षर मय दिनांक

(अध्यक्ष/सचिव प्रबंध समिति)

13. आवेदन पत्र

अस्थाई अनापत्ति प्रमाण—पत्र में अभिवृद्धि / सहशिक्षा में परिवर्तन हेतु

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

आवेदित सत्र

अस्थाई अनापत्ति प्रमाण—पत्र में अभिवृद्धि / सहशिक्षा में परिवर्तन हेतु प्रस्तुत किये
जाने वाले आवेदन फार्म
(केवल पूर्व संचालित महाविद्यालयों के लिए)

13.1 भाग – 'अ' (चेक लिस्ट)

1. समिति के रजिस्ट्रेशन एवं विधान की प्रति ।
2. प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची ।
3. प्रबन्ध समिति द्वारा नवीन विषय/संकाय /सहशिक्षा में परिवर्तन हेतु प्रारम्भ करने हेतु पारित प्रस्ताव की प्रति ।
4. संस्था के महाविद्यालय एवं संयुक्त निदेशक (अनुदान) के संयुक्त खाते में रथाई निधि में 5 वर्ष के लिए जमा राशि के एफ.डी.आर. की प्रति ।
5. महाविद्यालय के स्वयं की भूमि—गवन के पंजीकृत दरकावेजों की प्रतियों अथवा महाविद्यालय यदि किराये के भवन में संचालित है तो 3—5 वर्ष की संरक्षा के नाम पंजीकृत लीज डीड की प्रति ।
6. भवन का मानचित्र (वर्तमान भवन मानचित्र पीडीबी/सक्षम अधिकारी से प्राप्तित) एवं सम्पूर्ण महाविद्यालय परिसर के छाया चित्र ।
7. नवीनतम भवन सुरक्षा प्रमाण—पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा)यथा रार्वजनिक निर्माण विभाग, आवास विकास संस्थान, राजस्थान पुल निर्माण अथवा पंचायत समिति में पदस्थापित कनिष्ठ अभियन्ता ।
8. महाविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ का विवरण ।
9. राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चय करने का घोषणा पत्र ।
10. गत तीन वर्षों में महाविद्यालय में संकाय/कक्षा/विषयवार छात्र/छात्राओं की संख्या का विवरण । सारणी में प्रस्तुत करें। (टी० आर० संलग्न नहीं करें)।
11. गत तीन वर्षों के परीक्षा परिणाम का विवरण । सारणी में प्रस्तुत करें। (टी० आर० संलग्न नहीं करें)।

नोट :— सम्पूर्ण नियमों की विस्तृत जानकारी हेतु "राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1993" देखें ।

13.2 भाग – 'ब'

महाविद्यालय संबंधी सामान्य विवरण (कृपया सम्बन्धित को मार्क करें)

I	गहाविद्यालय का प्रकार	सामान्य / विधि
II	महाविद्यालय की श्रेणी	सहशिक्षा / गहिला
III	क्या महाविद्यालय पिछड़े क्षेत्र में आता है—	हाँ / नहीं
IV	आवेदन शुल्क राशि रु0.....डी.डी. क्रमांक	दिन0बैक..... (डी.डी. के पीछे समिति/महाविद्यालय का नाम व रथान अंकित करें)
V	एफ.डी.आर. राशि रु0	क्रमांक
VI	महाविद्यालय स्थापना वर्ष	दिन0

1. महाविद्यालय का नाम एवं
पूर्ण पता
.....पिन कोड
- दूरभाष नं. मय एसटीडी कोड
फैक्स नं.
मोबाइल
ई-मेल पता
2. प्राचार्य का नाम व पता
3. प्रबन्ध समिति के सचिव का नाम व पता
4. समिति/ट्रस्ट का नाम व पता मय
पंजीकरण क्रमांक एवं दिनांक
5. पंजीकृत विधान की प्रति
6. पंजीयक द्वारा अनुमोदित वर्तमान प्रबन्ध समिति
के सदस्यों के नाम,पते, टेलीफोन नंम्बर, व्यवसाय
7. वर्तमान प्रबन्ध समिति के निर्वाचन की तिथि

13.3 भाग — 'स'

आधारभूत सुविधाओं सम्बन्धी विवरण— (कृपया सम्बन्धित को मार्क करें)

1. भूमि—

1. सरकार से आवंटित
 2. निजी व्यक्ति से क्रय
 3. दान से
- (अ) भूमि का स्वामित्व किसके नाम है (दस्तावेज संलग्न करें)
1. महाविद्यालय
 2. समिति / ट्रस्ट
 3. पदाधिकारी
 4. अन्य (स्पष्ट नाम लिखें)
- (ब) भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर
- (स) महाविद्यालय के उपयोगार्थ उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर
- (भवन का प्रमाणित ब्ल्यू प्रिन्ट संलग्न करें)

2. भवन :— कक्षों की संख्या व आकार लिखें :—

प्रशासनिक

	प्राचार्य कक्ष	उपाचार्य कक्ष	स्टाफ रूम	कार्यालय कक्ष	भंडार कक्ष	क्रीड़ा कक्ष
मापवर्गफुटमें						
कमरा नं.						

अकादमिक

कक्षों की कुल संख्या ...	प्रयोगशाला की कुल संख्या.....	पुस्तकालय	वाचनालय
मापवर्गफुटमें			
कमरा न			

छात्र सुविधाएं

कागज रूम	साईकिल स्टेण्ड	जल भंडारण	पुरुष टायलेट्स	गर्हिला टायलेट्स

13.4 भाग — 'द'

अकादमिक सूचनाओं का विवरण

1. सम्बद्धक विश्वविद्यालय का नाम
.....
2. संरथा को पूर्व में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र /
प्रमाण पत्रों तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध पत्रों
का क्रमांक एवं दिन (फोटो प्रति संलग्न करें)
.....
3. संचालित संकाय
.....

4. संचालित विषय (ऐच्छिक विषयों सहित)

4.1 नवीन प्रस्तावित विषय

5. सम्बद्धक विश्वविद्यालय में चाहे विषय/सकाय
उपलब्ध होने बावत शपथ पत्र की प्रति
6. महाविद्यालय हेतु नियुक्त किये गये/किये
जाने वाले स्टाफ का विवरण –

क्र०सं०	पद का नाम	पदों की संख्या
1	प्राचार्य	
2	व्याख्याता	
3	पुस्तकालयाध्यक्ष	
4	पी.टी.आई.	
5	कार्यालय स्टाफ	
6	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	
7	अन्य	

7. महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का विवरण । प्रत्येक शिक्षक की अहता सामग्री प्रमाण पत्र

क्र. सं.	नाम	पद	स्थायी / अस्थायी	शैक्षणिक योग्यता	नियुक्ति तिथि	वेतनमान	गूल वेतन	मासिक वेतन	भविष्य निधि
								एवं भत्ते	अंशदान

8. महाविद्यालय में उपलब्ध अशैक्षणिक स्टॉफ का विवरण । कर्मचारी की शैक्षणिक अहता सामग्री प्रमाण पत्र संलग्न करें ।

क्र. सं.	नाम	पद	स्थायी / अस्थायी	शैक्षणिक योग्यता	नियुक्ति तिथि	वेतनमान	गूल वेतन	मासिक वेतन	भविष्य निधि
								एवं भत्ते	अंशदान

9. गत तीन वर्षों में महाविद्यालय में संकायवार, कक्षावार एवं
विषयवार नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत छात्रों की संख्या
(सारणी प्रस्तुत करें, टीआर संलग्न नहीं करें)
10. गत तीन वर्षों का परीक्षा परिणाम संलग्न करें
(सारणी प्रस्तुत करें, टीआर संलग्न नहीं करें)

13.5 भाग – 'र'

घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पुत्री श्री
 अध्यक्ष/सचिव..... एतदद्वारा निम्नलिखित तथ्यों की पालना की
 घोषणा करता/करती हूँ कि—

- 1 महाविद्यालय से सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पदों हेतु निर्धारित व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्तों पर नियुक्त किया जायेगा। नियुक्ति खुले विज्ञापन द्वारा राज्य सरकार के नियमों व नीतियों के अनुसार कर विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा।
- 2 महाविद्यालय का संचालन किसी जाति/धर्म राजनीतिक एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के संचालन में नहीं होगा। यदि महाविद्यालय द्वारा किसी जाति/धर्म, राजनीतिक प्रचार-प्रसार एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्तता पाई जाती है तो सरकार महाविद्यालय प्रबंध समिति के विरुद्ध विधिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।
3. महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त की जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं में सभी जाति/धर्म एवं वर्गों के व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किये जायेंगे। यदि महाविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं में जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है तो सरकार ऐसी दशा में महाविद्यालय प्रबंध के विरुद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।
4. महाविद्यालय प्रदूषण रहित क्षेत्र में संचालित किया जावेगा एवं महाविद्यालय द्वारा संचालित किसी गतिविधि से किसी प्रकार का प्रदूषण फैलता है तो सरकार महाविद्यालय प्रबंध के विरुद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।
5. महाविद्यालय का संचालन हेतु समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अध्यक्ष (Intoto) पालना की जावेगी। यदि महाविद्यालय संचालन में राजकीय निर्देशों के पालन में अवहेलना की जाती है तो राज्य सरकार महाविद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन के विरुद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।
6. संरथा द्वारा तीन वर्ष की अवधि में रख्य की भूमि पर गहाविद्यालय भवन का निर्माण किया जायेगा।
7. महाविद्यालय की समस्त आय व्यय सम्बन्धी लेन-देन महाविद्यालय के प्राचार्य एवं प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सचिव के संयुक्त बैंक खाते से किया जायेगा तथा महाविद्यालय के आय-व्यय का पृथक लेखा जोखा संधारित कर आडिट कराया जायेगा।
8. महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के प्रवेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग अभ्यर्थियों को कमशः 16, 12, 21 तथा 3 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जायेगी।
9. महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों का दुर्घटना बीमा राज्य बीमा एवं प्रावधारी निधि निभाग (साधारण बीमा) वित्त भवन, जयपुर के नियमानुसार करवाया जायेगा।

उपरोक्त सभी तथ्य मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है तथा मैंने कोई भी तथ्य जानबूझकर नहीं छिपाया है। यदि उपरोक्त तथ्य गलत एवं असत्य पाये जाते हैं तो इसके लिये संरथा रख्य जिम्मेदार होगी एवं राज्य सरकार संस्था के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

हस्ताक्षर मय दिनांक
 (अध्यक्ष/सचिव प्रबंध समिति)

14. आवेदन पत्र

रथाई अनापत्ति प्रमाण—पत्र हेतु

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
आवेदित सत्र

रथाई अनापत्ति प्रमाण—पत्र हेतु प्रस्तुत किये जाने वाला आवेदन फार्म
(केवल तीन सत्र पूर्व संचालित महाविद्यालयों के लिए)

14.1 भाग — 'अ' (चेक लिस्ट)

1. समिति के रजिस्ट्रेशन एवं विधान की प्रति।
2. प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची।
3. प्रबन्ध समिति द्वारा नवीन विषय/संकाय हेतु प्रारम्भ करने हेतु पारित प्रस्ताव की प्रति (सिलेबस संलग्न नहीं करें)
4. महाविद्यालय के स्वयं की भूमि—भवन के पंजीकृत दस्तावेजों की प्रतियों
5. संस्था के महाविद्यालय एवं संयुक्त निदेशक (अनुदान) के संयुक्त खाते में रथाई निधि में 5 वर्ष के लिए जमा राशि के एफ.डी.आर. की प्रति।
6. भवन का मानचित्र (वर्तमान भवन मानचित्र फीडब्लूडी/सक्षम अधिकारी से प्रगाणित) एवं सम्पूर्ण महाविद्यालय परिसर के छाया चित्र।
7. नवीनतम भवन सुरक्षा प्रमाण—पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा)यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, आवास विकास संस्थान, राजस्थान पुल निर्माण अथवा पंचायत रागिति में पदस्थापित कनिष्ठ अधिकारी।
8. महाविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ का विवरण।
9. यू.जी.सी. योग्यताधारी रथाई स्टाफ पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय से अनुग्रहन का पत्र।
10. स्टाफ का बैंक द्वारा वेतन के भुगतान का प्रमाण पत्र।
11. सगरत स्टाफ की पी.एफ. कटौती का प्रगाण पत्र।
12. समुचित छात्र सुविधाओं के विकास का संस्था प्रधान द्वारा दिया गया शपथ पत्र।
13. राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने का घोषणा पत्र।
14. गत तीन वर्षों में महाविद्यालय में संकाय/कक्षा/विषयवार छात्र/छात्राओं की संख्या का विवरण। सारणी में प्रस्तुत करें। (टी० आर० संलग्न नहीं करें)।
15. गत तीन वर्षों के परीक्षा परिणाम का विवरण। सारणी में प्रस्तुत करें। (टी० आर० संलग्न नहीं करें)

नोट :— सम्पूर्ण नियमों की विस्तृत जानकारी हेतु "राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक रांगथा अधिनियम, 1993" देखें।

14.2 भाग — 'ब'

महाविद्यालय संबंधी सामान्य विवरण (कृपया सम्बन्धित को मार्क करें)

I महाविद्यालय का प्रकार	सामान्य / विधि
II महाविद्यालय की श्रेणी	सहशिक्षा / महिला
III क्या महाविद्यालय पिछडे क्षेत्र में आता है—	हाँ / नहीं
IV आवेदन शुल्क राशि रु0.....डी.डी. क्रमांक	दि0 बैक..... (डी.डी. के पीछे समिति/महाविद्यालय का नाम व स्थान अंकित करें)
V एफ.डी.आर. राशि रु0	क्रमांक
VI महाविद्यालय स्थापना वर्ष	दि0

1. महाविद्यालय का नाम एवं
पूर्ण पता
.....पिन कोड
- दूरभाष नं. मय एसटीडी कोड
फैक्स नं.
सोबाइल
ई—मेल पता
2. प्राचार्य का नाम व पता
3. प्रबन्ध समिति के सचिव का नाम व पता
4. समिति/ट्रस्ट का नाम व पता मय
पंजीकरण क्रमांक एवं दिनांक
5. पंजीकृत विधान की प्रति
6. पंजीयक द्वारा अनुमोदित वर्तमान प्रबन्ध समिति
के सदस्यों के नाम, पते, टेलीफोन नंबर, व्यवसाय
7. वर्तमान प्रबन्ध समिति के निर्वाचन की तिथि

14.3 भाग – 'स'

आधारभूत सुविधाओं सम्बन्धी विवरण— (कृपया सम्बन्धित को ग्राहक करें)

1. भूमि—

1. सरकार से आवंटित
 2. निजी व्यक्ति से क्रय
 3. दान से
- (अ) भूमि का खामित्व किसके नाम है (दस्तावेज संलग्न करें)
1. महाविद्यालय
 2. समिति / ट्रस्ट
 3. पदाधिकारी
 4. अन्य (स्पष्ट नाम लिखें)
- (ब) भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर
- (स) महाविद्यालय के उपयोगार्थ उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर
- (भवन का प्रमाणित ब्ल्यू प्रिन्ट संलग्न करें)

2. भवन :— कक्षों की संख्या व आकार लिखें :—

प्रशासनिक

	प्राचार्य कक्ष	उपाचार्य कक्ष	स्टाफ रूम	कार्यालय कक्ष	भड़ार कक्ष	कीड़ा कक्ष
मापवर्गफुटमें						
कमरा नं.						

अकादमिक

कक्षों की कुल संख्या ...	प्रयोगशाला की कुल संख्या.....	पुस्तकालय	वाचनालय
मापवर्गफुटमें			
कमरा न			

छात्र सुविधाएं

कामन रूम	साईकिल स्टेंड	जल भंडारण	पुरुष टायलेट्स	महिला टायलेट्स

14.4 भाग – 'द'

अकादमिक सूचनाओं का विवरण

2. सम्बद्धक विश्वविद्यालय का नाम
.....
2. संरथा को पूर्व में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र /
प्रमाण पत्रों तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध पत्रों
का क्रमांक एवं दिन (फोटो प्रति संलग्न करें)
.....
3. संचालित संकाय
.....

4. संचालित विषय (ऐच्छिक विषयों सहित)

4.1 नवीन प्रस्तावित विषय

5. सम्बद्धक विश्वविद्यालय में चाहे विषय/सकाय
उपलब्ध होने बावत् शपथ पत्र की प्रति
6. महाविद्यालय हेतु नियुक्त किये गये/किये
जाने वाले स्टाफ का विवरण –

क्र०सं०	पद का नाम	पदों की संख्या
1	प्राचार्य	
2	व्याख्याता	
3	पुस्तकालयाध्यक्ष	
4	पी.टी.आई.	
5	कार्यालय स्टाफ	
6	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	
7	अन्य	

7. महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का विवरण | प्रत्येक शिक्षक की अर्हता साम्बन्धी प्रमाण पत्र

क्र. सं.	नाम	पद	स्थायी/अस्थायी	शैक्षणिक योग्यता	नियुक्ति तिथि	वेतनमान	गूल वेतन	मासिक वेतन	भविष्य निधि अंशदान

8. महाविद्यालय में उपलब्ध अशैक्षणिक स्टॉफ का विवरण | कर्मचारी की शैक्षणिक अर्हता साम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न करें।

क्र. सं.	नाम	पद	स्थायी/अस्थायी	शैक्षणिक योग्यता	नियुक्ति तिथि	वेतनमान	गूल वेतन	मासिक वेतन	भविष्य निधि अंशदान

9. गत तीन वर्षों में महाविद्यालय में संकायवार, कक्षावार एवं विषयवार नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत छात्रों की संख्या
(सारणी प्रस्तुत करें, टीआर संलग्न नहीं करें)

10. गत तीन वर्षों का परीक्षा परिणाम संलग्न करें
(सारणी प्रस्तुत करें, टीआर संलग्न नहीं करें)

14.5 भाग — 'र'

घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पुत्री श्री
 अध्यक्ष/सचिव एतद्वारा निम्नलिखित तथ्यों की पालना की
 घोषणा करता/करती हूँ कि—

- 1 महाविद्यालय से सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पदों हेतु निर्धारित व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन एवं भल्तों पर नियुक्त किया जायेगा। नियुक्ति खुले विज्ञापन द्वारा राज्य सरकार के नियमों व नीतियों के अनुसार कर विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा।
- 2 महाविद्यालय का संचालन किसी जाति/धर्म राजनीतिक एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के संचालन में नहीं होगा। यदि महाविद्यालय द्वारा किसी जाति/धर्म, राजनीतिक प्रचार-प्रसार एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्तता पाई जाती है तो सरकार महाविद्यालय प्रबंध समिति के विरुद्ध विधिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।
3. महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त की जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं गे सभी जाति/धर्म एवं वर्गों के व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किये जायेंगे। यदि महाविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं में जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है तो सरकार ऐसी दशा में महाविद्यालय प्रबंध के विरुद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।
4. महाविद्यालय प्रदूषण रहित क्षेत्र में संचालित किया जावेगा एवं महाविद्यालय द्वारा संचालित किसी गतिविधि से किसी प्रकार का प्रदूषण फैलता हे तो सरकार महाविद्यालय प्रबंध के विरुद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।
5. महाविद्यालय का संचालन हेतु समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की आकर्षण (Intoto) पालना की जावेगी। यदि महाविद्यालय संचालन में राजकीय निर्देशों के पालन में अवधेलना की जाती है तो राज्य सरकार महाविद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन के विरुद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।
6. संस्था द्वारा तीन वर्ष की अवधि में स्वयं की भूमि पर महाविद्यालय भवन का निर्माण किया जावेगा।
7. महाविद्यालय की समस्त आय व्यय सम्बन्धी लेन-देन महाविद्यालय के प्राचार्य एवं प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/सचिव के संयुक्त बैंक खाते से किया जायेगा तथा महाविद्यालय के आय-व्यय का पृथक लेखा जोखा संधारित कर आडिट कराया जायेगा।
8. महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के प्रवेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग अभ्यर्थियों को कमशः 16, 12, 21 तथा 3 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जायेगी।
- 9 महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों का दुर्घटना बीमा राज्य बीमा एवं प्रावधारी निधि चिनांग (साधारण बीमा) वित्त भवन, जयपुर के नियमानुसार करवाया जायेगा।

उपरोक्त सभी तथ्य मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है तथा मैंने कोई भी तथ्य जानबूझकर नहीं छिपाया है। यदि उपरोक्त तथ्य गलत एवं असत्य पाये जाते हैं तो इसके लिये सरथा स्वयं जिम्मेदार होगी एवं राज्य सरकार संस्था के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

हरताक्षर मय दिनांक

(अध्यक्ष/सचिव प्रबंध समिति)